

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, कुष्ठ,
स्वास्थ्य भवन,
उ०प्र० लखनऊ।

पत्र सं०: ०३-ए/एन०एल०ई०पी०/एन०पी०/२०१८-१९/१०३४६ दिनांक ०३-०१-१९

विषय- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर निर्धारित बजट के Reallocation के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया अपने पत्र सं०-११फ/कुष्ठ/२०१८/८३४८ दिनांक १२.११.२०१८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर निर्धारित बजट के Reallocation कराने से सम्बन्धित है।

अवगत कराना है कि अध्यक्ष महोदय राज्य कार्यकारी समिति द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code G.4.2 Review Meeting मद में निम्न तालिका के अनुसार कुल धनराशि रू० १६००००/- Reallocate करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

Reallocation under NLEP Programme 2018-19 (Amount in Rs.)								
New FMR Code	Old FMR Code	FMR Head	ROP 2018-19	District Total (DAP 2018-19)	Amount Balance (After DAP 2018-19)	Amount (For Re-Allocation)	Reallocation from FMR	Reallocation To FMR
16.1	G.4.3.b	Office Operations and Maintenance District Cell	3349000	3300000	49000	49000	New FMR 16.1 (Old FMR G.4.3.b)	New FMR 16.1 (G.4.2) NLEP Review Meetings
16.1	G.4.4.b	District Cell Consumables	2436000	2325000	111000	111000	New FMR 16.1 (Old FMR G.4.4.b)	
Total Allocation					160000	160000		

अतः उपरोक्त के क्रम में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर समीक्षा बैठक हेतु FMR Code G.4.4.b (New FMR Code 16.1) के अंतर्गत कुल रू० २०००००/- की धनराशि एन०एच०एम० के वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए व्यय किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं तदानुसार सम्बन्धित जनपदों को संशोधित डैप के सम्बन्ध में अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डा० अश्विनी कुमार)
महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

पत्र सं०-०३-ए/एन०एल०ई०पी०/एन०पी०/२०१८-१९/१०३४६-९ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।

3. समस्त जनपद के जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, नियोजन, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
9. समस्त जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


dc (डा0 अश्विनी कुमार)
से महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रम